न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

इजराय आवेदन पत्र सं. 03/2017

प्रार्थीगण– *बनाम* **अप्रार्थी–**

1. रूपाराम पुत्र उदाराम
2. रूगाराम पुत्र उदाराम
3. गोरखाराम पुत्र उदाराम
4. शेराराम पुत्र उदाराम
5. हेमाराज पुत्र बालाराम

सभी निवासी खारिया तला

तहसील व जिला बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 31.12.2015 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम हेमाराम व अन्य प्रकरण सं. 02/2014 की पालना सुनिश्चित करनें।

उपस्थिति :–

1. श्री रेखाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 17.02.2020

1. इस न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण सं. 02/2014 रूपाराम व अन्य बनाम हेमाराम व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 31.12.2015 की पालना हेतु यह इजराय प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 26.12.2016 को प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने हेमाराम व अन्य के विरूद्ध एक निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2014 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें पारित स्थगन आदेश की अवहेलना किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा एक अवमानना प्रकरण सं. 02/2014 प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उक्त अवमानना प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2015 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2014 के पश्चात किया गया निर्माण कार्य 7 दिवस में हटा कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश तहसीलदार बाड़मेर को जारी किये गए। इस न्यायालय के आदेश की पालना निर्धारित अवधि एवं उसके पश्चात प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी के समक्ष समय–समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी नहीं किये जाने पर यह इजराय आवेदन पत्र इस न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3. अप्रार्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक : राजस्व / 2018 / 704 दिनांक 12.03.2018 के द्वारा जवाब में अवगत कराया हैं कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2015 की पालना के क्रम में पूर्व में फर्द मौका दिनांक 07.12.2014 में मौका स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई थी, के क्रम में उक्त खसरा नम्बर 475 / 334 रकबा 31 बीघा गै0मु0 आबादी व खसरा नम्बर 686 / 334 रकबा 68 बीघा गै0मु0 मकरा में स्थित हैं, जिसमें गै0मु0 मगरा में निर्मित क्षेत्रफल में विप्रार्थी हेमाराम वगैरह का आवासीय कब्जा है एवं विद्युत का कनेक्शन होने से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना संभव नहीं हो रहा हैं।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि इस न्यायालय के द्वारा अवमानना प्रकरण सं. 02 / 2014 में उभय पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत निर्णय दिनांक 31.12.2015 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 हेमाराम को आदेश दिया गया हैं कि न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2014 के पश्चात किया गया निर्माण कार्य 7 दिवस में हटा कर स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा की गई पालना बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को सुनिश्चित करें। अप्रार्थी द्वारा इस आदेश की पालना निर्धारित समयावधि में नहीं किये जाने पर यह इजराय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादित भूमि सरकारी गैर मुमकीन भूमि हैं जिस पर अवैध रूप से निर्माण कार्य इस

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायलय के स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुए किया गया हैं ऐसे में अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर को इस आदेश की क्रियान्विती हेतु पाबन्द किया जावें। इस संबंध में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2018 प्रस्तुत की गई है जिसमें पक्का मकान एवं विद्युत कनेक्शन होने से कब्जा हटाने में असमर्थता जाहिर की गई हैं। यद्यपि अवमानना प्रकरण में अप्रार्थी के रूप में तहसीलदार बाड़मेर पक्षकार नहीं हैं किन्तु जब यह तथ्य जांच उपरांत सामने आया हैं कि सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया हैं तो उसके विरूद्ध विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखल किया जाना आवश्यक हैं, ऐसे में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत जवाब अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति विमुख होने वाला प्रतीत होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर को आदेशित किया जाता हैं कि विवादित सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में नियमानुसार जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही के द्वारा यदि अतिक्रमण पाया जाता हैं तो अतिक्रमियों को मौके से बेदखल करें।

6. आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते